



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY

(A GOVERNMENT OF BIHAR UNDERTAKING)

First Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna-800 004

E-mail: md@idabihar.com, Website-www.idabihar.com, Phone- 0612-2675933, 2675935, Fax-2675934

अल्पकालीन वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव सं० - 58 / IDA / 22

प्राधिकार में 15 लाख ₹0 तक के भौतिक निर्माण कार्यों के लिए चतुर्थ श्रेणी के सूचीबद्ध (Empanelled) संवेदकों से दिनांक 28.07.2022 के अपराह्न 3:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष से निर्गत वित्तीय अभिलेख का मूल्य जमा कर निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद दर प्राधिकार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और दिनांक 29.07.2022 3:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

कार्य का विवरण :

क्र.सं.	कार्य का नाम	कुल प्राक्कलित राशि (₹0)	अग्रधन की राशि (₹0)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹0)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	A.C repairing and copper pipe supply and installation at Vikash Bhawan, Department of Industries, Bihar	8,03,985.00	16,500.00	1,250.00	15 Days

निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

क्र.सं.	गतिविधि	स्थान, तिथि एवं समय
1	विज्ञापनदाता का नाम	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004
2	वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव निर्गत की तिथि	दिनांक 22.07.2022
3	वित्तीय अभिलेख प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.07.2022 को 15:00 बजे तक
4	प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 25.07.2022 को 15:00 बजे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
5	वित्तीय अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 28.07.2022 को 15:00 बजे तक
6	अग्रधन राशि एवं सभी शपथ पत्र की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	दि० 29.07.2022 को 15:00 बजे तक पी०डी०ए० शाखा, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004
7	वित्तीय अभिलेख खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 29.07.2022 को 15:30 बजे
8	वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव की वैधता की अवधि	120 दिन

नियम एवं शर्तें:-

1. निम्न संवेदक वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे -

- डीवार या काली सूचि में दर्ज
- जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित हो
- जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरांत निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किये हों एवं
- जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हो, परन्तु कार्य अकारण प्रारम्भ नहीं किये हों।

2. Physical mode/manual payment system के तहत अग्रधन की राशि D.D बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, जो Infrastructure Development Authority, Patna के नाम से वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव प्रकाशन की तिथि के बाद की हो की मूल प्रति दिनांक 28.07.2022 के 15:00 बजे तक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पी०डी०ए० शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा वित्तीय अभिलेख को अमान्य कर दिया जायेगा।

3. The bidder has to provide their Watsapp enabled mobile no. & email ID so that they may be contacted immediately in case of any quarry.

4. संवेदक Financial Bid Sheet एवं अन्य सभी कागजात या अग्रधन की राशि, सभी प्रमाण पत्र जो वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव के लिए आवश्यक है, को प्रस्ताव के साथ संवेदकों द्वारा संलग्न किये जाने वाले सभी अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों पर संबंधित संवेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

5. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पी०डी०ए० शाखा में समर्पित करना अनिवार्य है -

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

Handwritten signature and date 29.7.22

- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची (Black listed) में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) वित्तीय अभिलेख में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (ड) उपर्युक्त कडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. उपर्युक्त कडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. सभी तरह का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो एवं वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव के निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा एवं उनके मूल प्रति दिनांक 28.07.2022 के 15:00 बजे तक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पी0डी0ए0 शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके वित्तीय अभिलेख को अमान्य कर दिया जायेगा।
8. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार के पत्रांक 29 दिनांक 25.01.2021 के आलोक में वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव में माग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
9. प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। वित्तीय अभिलेख में अंकित प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि मान्य होगी।
10. इस कार्य का Defect Liability Period कार्य समाप्ति की तिथि से एक वर्ष का होगा।
11. विशेष शर्तें वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव अभिलेख में देखी जा सकती है।
12. इस वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव के से संबंधित Corrigendum/Addendum प्राधिकार के वेबसाइट www.idabiha.com ही प्रकाशित किया जाएगा।
13. वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव से संबंधित किसी भी प्रकार का Clarification प्री-बीड मीटिंग में ही discuss होगा। प्री-बीड मीटिंग का निर्णय www.idabiha.com पर upload किया जाएगा।
14. निविदादाताओं को वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव डालने के पूर्व कार्य, कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साइट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव जमा करने का परामर्श दिया जाता है एवं ऐसा माना जायेगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली भांति अवगत होने के पश्चात दर डाला गया है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
15. यदि किसी कारणवश वित्तीय अभिलेख प्राप्त करने की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो वित्तीय अभिलेख अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
16. वित्तीय अभिलेख का निस्तार सरकार द्वारा अद्यतन निर्देशों एवं परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।
17. Even though the bidders meet the qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history or financial failure in the work of this Authority.
18. वित्तीय बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम प्रस्ताव दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
19. परिमाण विपत्र के दर से कम दर (Serious Unbalanced) अंकित करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के साथ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - प्र0-6/1/ द0 बी0-03-08/2006(अंश), 448(S) ई0 पटना, दिनांक 16.01.2020 के आधार पर वर्णित दर से Additional Performance Guarantee देय होगा -
- (a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले वित्तीय प्रस्ताव के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले वित्तीय प्रस्ताव के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले वित्तीय प्रस्ताव के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत कम दर वाले वित्तीय प्रस्ताव के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
20. As per RCD letter no. 7435 (s) dated 14.08.2019, Settlement of Disputes and Arbitration Shall be treated as- The settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in Bihar Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008".
21. कार्यवटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।
22. इस विज्ञप्ति की सभी बातें/शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।
23. कार्य का भुगतान, निधि की उपलब्धता के पश्चात किया जायेगा। विलंब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
24. बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) राशि लेबर सेस के रूप में देय होगी, जो विपत्र से काट ली जायेगी।
25. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी0एस0टी/स्वामित्व/मालिकाना फीस इत्यादि की कटौती किया जायेगा।
26. बिना कोई कारण बताये वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव को अस्वीकृत करने/रद्द करने, निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है। इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
27. If the contractor fails to complete the work within the time as per work programme the agreement can be rescind and balance work will be done at risk and cost of the contractor and additional cost incurred the work to complete the work will be recovered from the contractor as per rule.
28. प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि प्राप्त होने की प्रत्याशा में निविदा की कार्रवाई की जा रही है। कार्य का भुगतान, निधि की उपलब्धता के पश्चात किया जायेगा। विलंब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

29. The charge for advocate welfare fund has been changed to Rs. 25 from Rs. 15 (Stamp charge for oath other wise tender will not be valid as per recent Government order.

30. वित्तीय आमंत्रण सूचना प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों एवं आवश्यक सूचना आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) या निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) पटना के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है तथा कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट www.idabihar.com पर देखा जा सकता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

ज्ञापांक:- 2413/PDA

दिनांक:- 22/07/2022

प्रतिलिपि :- 1. सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु जनसम्पर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)